पत्र संख्या – पर्य०/यो० – 14/2010 – 1995 /

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।
पुलिस अधिक्षक,
गिरिडीह।

राँची, दिनांक – 21 / 12 /2022

विषय : पारसनाथ में मांस–मदिरा के क्रय–विक्रय एवं उपभोग के प्रवर्तन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1391, दिनांक 22.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत को जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल होने का उल्लेख करते हुए इसकी पवित्रता अक्षुण्य रखने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता जारी किया गया है।

विभिन्न जैन संगठनों/जैन अनुयायियों से सम्मेद शिखर, पारसनाथ पर मांस–मदिरा का क्रय–विक्रय एवं सेवन होने की शिकायत प्राप्त हो रही है तथा उक्त स्थल की पवित्रता बनाये रखने हेतु वहाँ मांस–मदिरा के उपभोग को प्रतिबंधित करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के आलोक में उक्त क्षेत्र में पवित्रता बनाये रखने हेतु मांस–मदिरा के क्रय–विक्रय एवं उपभोग को रोकना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत पर आवश्यकतानुसार पुलिस गस्ती बढ़ाते हुए मांस–मदिरा के क्रय–विक्रय एवं उपभोग को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 21/12/22

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव।

332

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन– 0651–2400981, फैक्स– 0651–2400982, ई–मेल–govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.jharkhandtourism.gov.in

का०ज्ञा०सं० – पर्य०/यो० – 14/2010 – 1391 / राँची, दिनांक 22/10/2018 /

कार्यालय ज्ञाप

पारसनाथ सम्मेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

22/10/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 1391 /राँची, दिनांक – 22/10/2018 /

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, झारखण्ड/निदेशक, पर्यटन निदशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

O/C

22/10/18

सरकार के अपर सचिव